15/6/2018

पत्रावली आज न्यायालय के समक्ष वैधानिक रूप में पेश हुई। मजमून आज में उपस्थित की जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 14.11.11 को तनकियान आयोग की गई थी। तब से पत्रावली लम्बित कार्यों में चल रही है। तनकीयान के बिन्दु सं० 01, 02, 03 वादी को साबित करना था। परन्तु वादी ने आज दिनांक तक एक साक्ष्य भी कोई साक्ष्य व गवाह पेश/प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः तनकी संख्या 01, 02, 03 वादी के विरुद्ध तय की जाती है। तनकी सं० 04 से 07 प्रतिवादीगण के लिये थी। बिन्दु सं० 04 के अनुसार प्रतिवादीगण का कहना है, बिन्दु सं० 5 वादी का कब्जा बिजाद काबिज है। बिन्दु सं० 06 एक न्यायालय से सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। बिन्दु सं० 07 उचित रेकर्ड नहीं। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की उक्त भावना स्वीकृत भावना है। उक्त दावे को वादी की पैरवी माने नहीं है। पंचीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को है। अतः तनकी सं० 04 से 07 भी वादी के विरुद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है। इस प्रकार सभी तनकीयान वादी के विरुद्ध निर्णीत होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner